न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—412/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/412)

1. छगना पुत्र गोमा
2. आसू पुत्र गोमा
3. लाला पुत्र गोमा
4. भैरूपुत्र गोमा
5. रमेश पुत्र हीरा
6. गोरधन पुत्र हीरा

समस्त जाति गुर्जर, निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट

2. मांगी पुत्री गोमा
3. गीता देवी पत्नि हीरा
4. मंजू देवी पुत्री हीरा
5. विक्रम पुत्र हीरा
6. मुकुल पुत्र हीरा

समस्त जाति गुर्जर निवासी बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर।
8. उप—पंजीयक, पुष्कर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2022 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 52/2021

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री भारत भूषण गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—05.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी ने एक वाद धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/3, 1/5, 1/6/1, 1/6/6 के विरूद्ध विधिवत नोटिस तामिल हुए बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बिना तनकीयात कायम किए वाद का निर्णय प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपने पुत्र श्योपाल को मुख्त्यारआम बताते हुए एक अपील नामांतकरण संख्या 171 दिनांक 29.6.1989 के विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की, तथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 24.8.2016 को कालू पुत्र किशना की विरासत बाबत जांच करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पुष्कर को प्रतिप्रेषित किया था, तथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित उक्त आदेश को अपीलार्थी लालाराम द्वारा संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में अपील के जरिये चुनोती दी, उक्त अपील संख्या 254/2016 संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में लम्बित है। इसी दौरान विरासत के नामान्तकरण के बजाय भंवरी देवी बेवा कालू की मृत्यु होना कथन कर उगमा पुत्र पांचू ने एक अपंजिकृत वसीयत के द्वारा स्वयं के पक्ष में नामान्तकरण किये जाने की प्रार्थना की, तथा तहसीलदार पुष्कर ने विधि विधान से परे जाकर नामान्तकरण उगमा पुत्र पांचू के नाम किये जाने का आदेश पारित कर दिया, इसके आधार पर उगमा पुत्र पांचू को जिस प्रकार से खातेदार अंकित किया है वह आदेश ही अपने आप में अवैध है, इस प्रकार सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया तथा समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नही किये जा सके, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिकी वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण दर्ज किए जाने के उपरांत प्रथम सुनवाई की दिनांक को ही एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित कर दिये गये, जबकि नोटिस अपीलार्थीगण को विधिपूर्ण तरीके से तामिल नहीं हुए एवं अपीलार्थी लालाराम का नोटिस पुनः किस तारीख को जारी किया गया इस बाबत कोई नोटिस के प्रस्तुतिकरण की दिनांक अंकित है, न ही फर्दअहकाम पर दिनांक अंकित है, इसके बावजूद भी दिनांक 9.4.2022 को अपीलार्थी लालाराम के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया, इस प्रकार सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा अपनाई गई प्रकिया पूर्णतया विधि विपरीत है तथा अपीलार्थीगण को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर नहीं देने के उदेश्य से उक्त समस्त कार्यवाही पोषिता तौर पर की गई है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। वाद प्रस्तुत किए जाने के उपरांत तहसीलदार पुष्कर जिनके द्वारा निर्णय नामान्तकरण बाबत दिनांक 12.11.2021 को पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया गया, उनके द्वारा एक पत्रनुमा जवाब उपखण्ड अधिकारी पुष्कर को प्रेषित कर दिया गया, तथा इसी आधार पर उसे राज्य सरकार की ओर से जवाब मानकर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया, जबकि तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब न तो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसरण में है, न ही समुचित विधिक प्रक्रिया के तहत जवाब प्रस्तुत किया गया है, तथा तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब से ही यह बिन्दू सन्देह से परे साबित हो जाता है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में समस्त कार्यवाही विधि विधान से परे जाकर की गई, इस कारण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2022 अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किये गये डिक्री से प्रार्थी के सुने जाने के अधिकार का पूर्णतया हनन किया गया है इस कारण अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2022 अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2022 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2017 आर0बी0जे 299, आर0बी0जे0(16)2009 न्यायिक दृष्टांत पेश किए है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 1/6 सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम गनाहेडा पटवार हल्का गनाहेडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 गोमा पुत्र किशना का 2/3 हिस्सा निहित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो कि जमाबंदी संवत 2073–2076 से स्वयं सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नहीं है क्यों कि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की हकबंदी को लेकर आए दिना विवाद होता रहता है। अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवाई जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने एक वाद धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 23.05.2022 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायायल हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि विरासत के नामान्तकरण में उगमा ने भंवरी देवी बेवा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कालू की मृत्यु होने पर उगमा पुत्र पांचू ने एक अपंजिकृत वसीयत के द्वारा स्वयं के पक्ष में नामान्तकरण किये जाने की प्रार्थना की, तथा तहसीलदार पुष्कर ने विधि विधान से परे जाकर नामान्तकरण उगमा पुत्र पांचू के नाम किये जाने का आदेश पारित कर दिया, इसके आधार पर उगमा पुत्र पांचू को जिस प्रकार से खातेदार अंकित किया है वह आदेश ही अपने आप में अवैध है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से यह भी कथन किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत रूप से नोटिस तामील कराए एक तरफा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

न्यायालय हाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ संलग्न तहसीलदार पुष्कर द्वारा दिनांक 12.11.2021 पारित आदेश का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन कालू और उसकी धर्मपत्नी भंवरी के कोई जाईन्दा औलाद नहीं रही है ऐसी स्थिति में उनके जीवनकाल में उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त था। ग्राम गनाहेडा के खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.34 है0 में खातेदार कालू की मृत्यु पश्चात भंवरी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 21.9.2015 के अनुसार उगमा पुत्र पांचू को जरिए विरासत दिनांक 21.9.2015 को अपना विधिक वारिस मानकर राजस्व रिकार्ड में कायम किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। नामांतरकरण की प्रक्रिया फिस्किल प्रोसिडिंग है। तहसीलदार पुष्कर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 वैध है अथवा अवैध है इसका निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा उक्त आदेश न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील बंटवारे से संबंधित है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 2.12.2021 को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसे दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने बाबत आदेश दिए गए। दिनांक 3.1.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3, 1/5, 1/6/1 से 1/6/6 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रकरण नोटिस तलबी हेतु नियत रहा तथा दिनांक 29.4.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/4 उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नोटिसों का अवलोकन किया तो पाया कि प्रतिवादी संख्या 1/1 मांगी 1/5 भैरू, 1/6/3, 1/3 आसू को जारी नोटिस की पुष्ट पर स्वयं द्वारा लिया जाना अंकित है तथा शेष प्रतिवादीगण को जारी नोटिस परिवार के सदस्यों द्वारा लिया जाना अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवादीगणों को नोटिस विधिवत रूप से तामील हुए हैं तथा वे बावजूद विधिवत तामीली के अनुपस्थित रहे है। जिस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलांटगण की तामीली विधिवत रूप से हुई है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 6.1.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.34 है0 प्रार्थी उगमा पुत्र पांचू एवं इसके भाईयों के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थी का खाता विभाजन किया जाना उचित है।

अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए मौजा ग्राम गनाहेडा की आराजीयात खाता संख्या 140 जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

सह खातेदारी से दर्ज है का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किए जाने बाबत आदेश दिए व मौजा गनाहेडा तहसील पुष्कर की विवादित आराजीयात के खाता संख्या 140 के खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.34 है0 में उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर सा0 बांसेली हिस्सा 1/3, गोमा पुत्र किशना जाति गुर्जर सा0 बांसेली हिस्सा 2/3 दर्ज है, का मौके एवं कब्जे तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वादी व प्रतिवादी के अलग–अलग खाते कायम किए जाने के आदेश पारित किए गए है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं कि है ना ही किसी भी पक्षकार का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में कम या ज्यादा किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स खारिज योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 52/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

05/05/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner